



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-
238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

क्रमांक: – सर/उद्यान/4-1/2014-15-1200

दिनांक: – 29.08.2014

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा निगम सामाजिक योजना के तहत आस-पास के गावों / ढाणियों में छायादार/फलदार 20,000.00 पौधे लगाने का कार्य प्रस्तावित है। इसके लिये इच्छुक ठेकेदार अपनी निविदा दिनांक 18.09.2014 को सांय 3.00 बजे तक निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर के नाम भेज सकते हैं, निविदा के साथ धरोहर राशि रु0. 10000/- (रु0.दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि **National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh, payable at Suratgarh,** संलग्न कर भेजना होगा बैंक ड्राफ्ट के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी। टैंडर फार्म फार्म की कीमत रु0. 100/- अलग से जमा करानी होगी। निविदायें उसी दिन 'सांय 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र.सं०.	कार्य का विवरण	कुल कार्य	दर रुपये प्रति पोधा
1.	फार्म की पौधशाला से पौधे उखाड़ना, पैकिंग करना, फार्म के ट्रक/ट्राली में लादना, गाँव ले जाना, उतारना, आवश्यकतानुसार खड्डा खोदना, फार्म द्वारा उपलब्ध दवा से मिट्टी उपचार करना, पोधा लगाना, व फार्म द्वारा उपलब्ध साधन से आवश्यकतानुसार एक बार पानी लगाना।	20,000.00 पौधे	

सफल बोलीदाता/निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर, बिना ब्याज वापस की जायेगी। असफल बोलीदाता/निविदादाता की धरोहर राशि नियमानुसार चैक द्वारा वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेके बोली में भाग लेने के लिये आवास पते के रूप में पहचान पत्र, पेन कार्ड की छाया प्रति जमा करानी होगी। उक्त दिनांक को ठेका नहीं होने पर पुनः ठेका दिनांक 24.09.2014 व 27.09.2014 को निर्धारित समय पर होगा।

उद्यान अधिकारी
कृते प्रभारी निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल
कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

क्रमांक: – सर./उद्यान/4-1/2014-15-

दिनांक: – 29 अगस्त, 2014

नियम व शर्तें

वर्ष 2014-15 में निगम समाजिक योजना के तहत आस पास के गावों में पौधे लगाने हेतु नियम व शर्तें

1. प्रत्येक निविदादाता/वोलीदाता को निविदाये/वोली देने से पूर्व फार्म खजार्ची के पास रु0. 10000/- धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सरदारगढ़ के नाम देय हो जमा करवाना होगा ।
2. प्रत्येक निविदादाता/वोलीदाता को पेन कार्ड अथवा राशन कार्ड की छांया प्रति जामा करानी होगी ।
3. असफल वोलीदाता की धरोहर राशि चैक द्वारा नियमानुसार लौटा दी जायेगी, तथा सफल वोलीदाता की धरोहर राशि जमा कर ली जायेगी जो कि कार्य संतोषजनक पुरा होने पर विना ब्याज लौटा दी जायेगी ।
4. ठेकेदार को फार्म की पौधशाला से पौधे स्वयं उखाड़ने होंगे, तथा उद्यान सहायक के निर्देशानुसार पैकिंग करनी होगी ।
5. फार्म के ट्रक/ट्राली में लाद कर उद्यान सहायक के द्वारा बताये गये गाँव आदि में ले जाकर लगाने होंगे ।
6. पौधे लगाने के लिए आवश्यकतानुसार खड्डे खोदना होगा व फार्म द्वारा उपलब्ध दवा मिटटी में मिलानी होगी ।
7. लगाये गये पौधों में फार्म द्वारा उपलब्ध साधन से आवश्यकतानुसार एक वार पानी लगाना होगा ।
8. पौधे लगाने का कार्य माह दिसम्बर, 2014 तक पूरा करना होगा ।
9. पौधे लगाने का कार्य समय पर पूरा नहीं होता है तो अन्य ठेकेदार से करा लिया जायेगा ओर जो भी खर्चा आयेगा वह पहले ठेकेदार के विल आदि से पूरा कर लिया जायेगा ।
10. खड्डा आदि खोदने के लिए फावड़े/कस्सी का प्रबंध स्वयं ठेकेदार को करना होगा ।
11. 10000 पौधे लगाने पर 5000 पौधों के बिल का भुगतान किया जायेगा तथा कार्य पुरा होने पर पुरा भुगतान कर दिया जायेगा ।
12. कार्य पुरू करने से पहले ठेकेदार को रु0. 100/- का बॉन्ड पेपर पर एग्रीमेंट करना होगा, बॉन्ड पेपर की किमत स्वयं ठेकेदार वहन करेगा ।
13. किसी भी प्रकार का टैक्स ठेकेदार को वहन करना होगा ।
14. किसी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक या उनके प्रतिनिधि का फैसला मान्य होगा ।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार सूरतगढ़ होगा ।

उद्यान अधिकारी